

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अल्मोडा।
पत्रांक: सीएफओ/एन/पीटीएच/2024-25(60) दिनांक: मार्च 29, 2025

सेवा में,

स्वामी/प्रबंधक
डॉन बास्को स्कूल,
डॉन बास्को नगर रई पुल, जनपद-पिथौरागढ़

विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance(नवीनीकरण) के सम्बन्ध में।


कृपया आपके प्रार्थनापत्र ए0यू0आई0डी0 नम्बर-45615917, दिनांक 13.03.2025 के अनुसार आवेदक डॉन बास्को स्कूल, डॉन बास्को नगर रई पुल, जनपद-पिथौरागढ़ का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पिथौरागढ़ के निरीक्षण आख्या दिनांक 24-03-2025 के अनुसार अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत एबीसी 04 कि0ग्रा0 क्षमता का 18 अदद, सीओडू 4.5 किग्रा 02 अदद होजरील मय फिटिंग्स 02 अदद, 25 हजार ली0 क्षमता का अपडर ग्राउन्ड टैंक व 10 हजार ली0 क्षमता का ओवर हैड टैंक स्थापित है। अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अग्निशमन जोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये।


निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से) टेस्टिंग शुल्क जमा कराया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व: घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन पिथौरागढ़ की संस्तुति के आधार पर डॉन बास्को स्कूल, डॉन बास्को नगर रई पुल, जनपद-पिथौरागढ़ (ब्लॉक A भूतल में 12 कमरें, प्रथम तल में 12 कमरें, द्वितीय तल में 01 हॉल हेतु व ब्लॉक B भूतल में 06 कमरें, प्रथम तल में 06 कमरें, द्वितीय तल में 06 हॉल हेतु कुल 36 कमरें व 07 हॉल हेतु) का दिनांक 29 मार्च 2025 से 28 मार्च 2028 तक अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण इस आधार पर किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाय:-

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्नि काण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5. किसी भी प्राधिकृत अधिकारी/व्यक्ति द्वारा यदि भूमि/भवन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रकट की जाती है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।


Manager
Don Bosco School
Pithoragarh (U.K.)


Principal
Don Bosco School
Pithoragarh (U.K.)


(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पिथौरागढ़।